रजिस्ट्रेशन सं. डी एल.—33004/96 REGN. NO. D. L.—33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 177] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 18, 1996/फाल्गुन 28, 1917
No. 177] NEW DELHI MONDAY, MARCH 18, 1996/PHALGUNA 28, 1917

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
No.
Date
GOVT OF INDIA

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1996

का.आ. 206 (अ).—केन्द्रीय सरकार ने आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269ख की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना सं. का.आ. 684(अ) तारीख 24 सितम्बर, 1986 द्वारा समुचित प्राधिकरणों, दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और मद्रास का गठन किया था।

और श्री एम.के. मिश्रा, आयकर आयुक्त ने अवकाश से वापसी पर श्री जी. पी. प्रभु, आयकर आयुक्त, दिल्ली से सदस्य, समुचित प्राधिकरण, दिल्ली का भार साधन 4 दिसम्बर, 1995 को ग्रहण कर लिया है।

अतः केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ. 684(अ) तारीख 24 सितम्बर, 1986 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी के स्तम्भ (ii) में, "समुचित प्राधिकरण, दिल्ली" से संबंधित क्रम सं. (1) के सामने आने वाली मद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

"श्री एम.के. मिश्रा, आयकर आयुक्त।"

[फा.सं. 316/99/95-ओ टी]

अरविंद कुमार, अवर सचिव

पाद टिप्पण :—मुख्य अधिसूचना, का.आ. सं. 684(अ), दिनांक 24 सितम्बर, 1986 के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी और समय-समय पर संशोधित की गई अंततः का.आ. सं. 54(अ) दिनांक 18 जनवरी, 1996 द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 1996

S.O.206(E).—Whereas in exercise of the powers conferred by the sub-sections (1) and (2) of section 269UB of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961), the Central Government constituted appropriate authorities Delhi, Bombay, Calcutta and Madras vide notification No. S.O. 684(E) dated 24th September, 1986;

And whereas Shri M.K. Misra, Commissioner of Income-Tax, on return from leave, has taken charge of Member, Appropriate Authority, Delhi from Shri G.r. Prabhu, Commissioner of Income-Tax, Delhi on 4th December, 1995;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 269UB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the

Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. S.O. 684(E) dated 24th September, 1986, namely :—

In column 2 of the Table to the said notification, for item (ii) occurring against serial number 1 relating to "Appropriate Authority, Delhi," the following item shall be substituted, namely :—

"Shri M.K. Misra, Commissioner of Income-tax".

[F. No. 316/99/95-OT.]

ARVIND KUMAR, Under Secy

Foot Note:—The principal notification was published vide S.O. No. 684(E) dated 24th September, 1986 and amended time to time, last amendment vide S.O. No. 54(E) dated 18th January, 1986.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1996